

1281

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)


(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ~~खजाना~~.....)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1057 वायु दिनांक 01/01/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>खजाना</u>	<u>142</u>	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खजाना</u> प.ह. <u>खजाना</u> खातासं <u>142</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्व ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अनिल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदापर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चितौड़गढ

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (पु.अ.)

तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ